



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2018/पौष 3, 1940

No. 534]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2018/PAUSHA 3, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2018

फा. सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I)—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 20 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना तारीख 18 अप्रैल, 2017 में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित भारतीय रेलवे के अधीन क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:—

तालिका में, वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात्, संबंधित स्तंभों में निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

क्र. सं.	खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान और रेलवे
69	श्री अब्दुल मोहम्मद रबीक	उत्तर फ्रंटियर रेलवे
70	श्री अंबिकानन्द झा	दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे
71	श्री प्रशांत सुखदेव	दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे
72	श्री राज कपूर	मध्य रेलवे

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./455/18]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा. सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I), तारीख 18 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी:—

- फा. सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I), तारीख 29 सितम्बर, 2017;
- फा. सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I), तारीख 19 फरवरी, 2018; और
- फा. सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I), तारीख 8 नवम्बर, 2018 ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2018

F. No. 1(42) 2011/Railways/FSSAI (Part-I).—In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officer as Food Safety Officer for the area as mentioned against his name under Indian Railways with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification dated the 18th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 20th April, 2017:—

In the table, after the existing entries, the following shall be inserted in the respective columns, namely:—

Sr. No.	Name of FSO	Place of Posting & Railway
“69	Sh. Abdul Mohamed Rabeek	North Frontier Railway
70	Sh. Ambikanand Jha	South East Central Railway
71	Sh. Prashant Sukhdeve	South East Central Railway
72	Sh. Raj Kapoor	Central Railway”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./455/18]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* No. F. 1(42) 2011/Railways/FSSAI (Part-I), dated the 18th April, 2017 and subsequently amended *vide* notification numbers:—

- I. F. No. 1(42) 2011-(01)/Railways/FSSAI (Part- I), dated the 29th September, 2017;
- II. F. No. 1(42) 2011-(01)/Railways/FSSAI (Part- I), dated the 19th February, 2018; and
- III. F. No. 1(42) 2011-(01)/Railways/FSSAI (Part- I), dated the 8th November, 2018.